निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 761) पटना, शुक्रवार, 9 अगस्त 2024

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2024

सं० 11/न0वि0/अधिसूचना–04/2024–1098 न0वि0एवंआ0वि0—विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 752 दिनांक 07.08.2024 द्वारा बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 को प्रवृत किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 के अधिसूचित होने के पश्चात् बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–10 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 52 की उपधारा (5), धारा 143, धारा 60 के परन्तुक, एवं धारा 27आ की उपधारा (2) के उपबंधों से राज्य के सभी नगरपालिकाओं को निम्नलिखित कारणों को अभिलिखित करते हुए छूट दिया जाता है तथा विमुक्त किया जाता हैः–

2.1 बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा धारा 52 में उपधारा (5) जोड़ा गया हैः–

''नगरपालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के किसी नियम/निर्देश के विरूद्ध अथवा उससे असंगत प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद अथवा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव लाये जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा इसे राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा जायेगा।''

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली, 2010 के नियम 10 (4) में प्रावधानित है कि सशक्त स्थायी समिति विचार और प्रस्ताव पारित नहीं करेगा–(क) कोई बात/विषय जो नियमावली, विधि या राज्य सरकार के निर्देश के विरूद्ध होगा। उक्त प्रावधान पूर्व से होने के फलस्वरूप विभ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो इस कारण राज्य के सभी नगरपालिकाओं को इस उपबंध की धारा 52 (5) के प्रवर्तन से छूट दिया जाता है तथा विमुक्त किया जाता है।

2.2 बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा धारा 143 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया हैः–

''143. अपील–(1) अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम के मामले में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसी अपील धारा–142 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अपील के साथ आपत्ति पंजी एवं पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न रहेगी एवं इसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित रीति से किया जायेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत सभी अपील पर भारतीय परिमितता अधिनियम, 1908 के भाग–**II** के प्रावधान लागू होंगे।

(4) धारा 142 के अन्तर्गत प्रथम बार जिन आपत्तियों का निर्धारण नहीं हुआ हो उन पर अपील स्वीकार्य नहीं होगी।

(5) प्रमण्डलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी के निर्णय को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लंबित रहने पर कर निर्धारण या देय होल्डिंग करों अथवा उनकी किस्तों की वसूली पर रोक नहीं रहेगी किन्तु अपील के अधीन कर निर्धारण पर ऐसा निर्धारण होता है कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना था या ऐसे कर अथवा उसकी किस्त की वसूली नहीं की जानी थी, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसे वसूले गये कर अथवा अधिक वसूले गये अंश की वापसी पारित अंतिम निर्णय के आलोक में की जायेगी अथवा भविष्य में उद्भूत होने वाले मांग के विरूद्ध उसका समायोजन किया जा सकेगा।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी दो अलग–अलग अपीलीय प्राधिकार होने के फलस्वरूप प्रक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकेगी तथा विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक कठिनाईयाँ हो सकती है। इस कारण राज्य के सभी नगरपालिकाओं को इस उपबंध की धारा 143 के प्रवर्तन से छूट दिया जाता है तथा विमुक्त किया जाता है।

2.3 बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा धारा 60 में निम्नलिखित जोड़ा गया है :–

''परन्तु यह कि नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त बैठक के आयोजन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जायेगा। बैठक के कार्यवृत्त पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद के द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा सदस्य सचिव के रूप में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसके उपरांत कार्यवृत्त मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अगर किसी भी बोर्ड के किसी भी निर्णय के संबंध में उसकी वैधानिकता के संबंध में किसी प्रकार की, वैधिक सलाह (Legal Opinion) इत्यादि प्राप्त किया जाना हो तो उसके लिए एक सप्ताह का समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समुचित प्रक्रिया के अन्तर्गत विहित माध्यम (Through Proper Channel) से वैधिक सलाह प्राप्त करने में सात दिनों से अधिक समय लगने की संभावना है। इस कारण राज्य के सभी नगरपालिकाओं को इस उपबंध की धारा 60 ''परन्तुक'' के प्रवर्तन से छूट दिया जाता है तथा विमुक्त किया जाता है।

2.4 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 27 आ की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :–

''(2) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिए नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।''

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 22 के अन्तर्गत नगरपालिका की कार्यपालक शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित है एवं मुख्य पार्षद उसके अध्यक्ष होते है। अतएव स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को सशक्त स्थायी समिति के पर्यवेक्षण में कार्य करना होता है। इस कारण राज्य के सभी नगरपालिकाओं को इस उपबंध की धारा 27आ (2) के प्रवर्तन से छूट दिया जाता है तथा विमुक्त किया जाता है।

3. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 27आ (2), 52 (5), 60 ''परन्तुक'' एवं 143 के उपबंधों के प्रवर्तन से राज्य के सभी नगरपालिकाओं को छूट दिया जाता है तथा विमुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 761-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in